प्रेस नोट

थाना- बहादुरगढ़ दिनांकः- 10-11-2023

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा क्रियान्वित "शातिर अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति" के अनुरूप हापुड पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाते हुए गैंगस्टर एक्ट की अभियुक्ता पूनम द्वारा हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित कर अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति (प्लॉट जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये) को कुर्क किया गया।

कार्यवाहीः-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा थाना सिम्भावली के मु0अ0सं0 275/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्ता द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति (प्लॉट कीमत करीब 15 लाख रुपये) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हापुड महोदय के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया।

अभियुक्ता का नाम व पताः-

पूनम पत्नी नवीन फौजी निवासी ग्राम गोविन्दपुरी थाना किठौर जनपद मेरठ।

अभियुक्ता पूनम का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 366/2022 धारा 302,307,120बी थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
2. मु0अ0सं0 183/2023 धारा 506 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
3. मु0अ0सं0 275/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

जब्त की गयी अचल सम्पत्ति का विवरणः-

1. एक प्लाट एरिया 139 वर्ग गज (कीमत करीब 15 लाख रूपये)

जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. श्री आशुतोष शिवम क्षेत्राधिकारी गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
2. थाना प्रभारी श्री संदीप कुमार मय पुलिस टीम थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।